

फा.सं. 6.04/2017-18/डी.ई.एस.एम. 1104/1943

विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली - 110016

13.10.2017

विषय: एक कनिष्ठ परियोजना अध्येता की भर्ती - "उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रयोगशाला तक पहुँच का अध्ययन" (पीएसी कोड 6.04) नामक परियोजना के अन्तर्गत खुला साक्षात्कार।

विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग (डी.ई.एस.एम.) एन.सी.ई.आर.टी. एक कनिष्ठ परियोजना अध्येता की संविदागत आधार पर भर्ती के लिए एक खुला साक्षात्कार आयोजित करेगा। यह साक्षात्कार 13 अक्टूबर 2017 को प्रातः 10:30 बजे कमरा सं. 2, प्रथम तल, जानकी अम्माल खण्ड, डी.ई.एस.एम., एन.सी.ई.आर.टी., श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली -110016 में आयोजित किया जाएगा। अध्येतावृत्ति की निबंधन एवं शर्तें इस प्रकार हैं:-

क्रम.सं	परियोजना का नाम	अर्हताएँ	
		अनिवार्य	वांछनीय
2.	उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रयोगशाला तक पहुँच का अध्ययन (पीएसी कोड 6.04)	भौतिकी/रसायन विज्ञान/प्राणि विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/शिक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए न्यूनतम 55% अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग की स्थिति में 50% अंक)	1. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में कार्य करने का अनुभव। 2. इन्टरनेट पर कार्य करने का अनुभव। 3. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) 4. शिक्षा में अनुसंधान में अनुभव वाले अथवा एम.एड अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। 5. अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में प्रवीणता।
	आयु सीमा अध्येतावृत्ति की अवधि अध्येतावृत्ति की राशि	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार 40 वर्ष से कम। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से (6 माह तक) रु. 16,000/- प्रतिमाह समेकित (नेट अर्हता प्राप्त) तथा रु. 14,000/- प्रतिमाह समेकित (गैर नेट अर्हता प्राप्त)	

अभ्यर्थियों को प्रातः 9.30 बजे रिपोर्ट करना है।

पंजीकरण पूर्वाह्न 11.00 बजे बन्द कर दिया जाएगा।

टिप्पणी

1. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी जीवन-वृत्त के साथ अपने मूल प्रमाणपत्र लाएं।
2. अध्येतावृत्ति अस्थायी है तथा इसकी राशि में वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है।
3. जो अभ्यर्थी पहले से ही सेवारत हैं वे अपने आवेदन अपने नियोक्ता के माध्यम से अग्रेषित करवाएं।
4. साक्षात्कार में उपस्थित होने अथवा पद ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं है।
5. परिषद् में पहले ही 2 वर्ष 6 माह तक कार्य कर चुके कनिष्ठ परियोजना अध्येता इस पद के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रति

1. निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. के निजी सचिव
2. सचिव, एन.सी.ई.आर.टी. के निजी सचिव
3. अध्यक्ष, डीआईसीटी, सीआईईटी को इसे एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

दिनांक 13.10.17
विभागाध्यक्ष / DESM
वि. ग. शिक्षा विभाग / DESM
रा. श. अ. प्र. प. / N.C.E.R.T.
श्री अरविंद मार्ग / Sri Aurobindo Marg
नई दिल्ली-16 / NEW DELHI-16